भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2698**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

,lbtM dk fodkl

2698- Jh ,lñvkjñ ikFkcu%
Mkñ me'k thñ tk/ko%
D;k okf.kT; vkj m|kx e=h ;g crku dh dik djx fd%

¼d½ fo'k"k vkfFkd tku ¼,lbtM½ uhfr dh ie[k fo'k"krk, D;k g(
¼[k½ n'k e bl uhfr d vUrxr fpfUgr vkj LFkkfir fd, x, ,lbtM dk dukVd fo'k"kdj gnjkckn dukVd {k= vkj rfeyukM lfgr jkT;@l?k jkT;{k=&okj vkj LFkku&okj C;kjk D;k g vkj mu oLrvk dk C;kjk D;k g ftud fy, ; ,lbtM dk; dj jg g(
¼x½ xr rhu o"kk e iR;d o"k vkj pky o"k d nkjku bl uhfr d vUrxr ,lbtM d fodkl gr Lohdr vkofVr vkj mi;kx dh xb /kujkf'k dk C;kjk D;k g vkj ble dUn vkj jkT;k dh fdruh ifr'kr fgLlnkjh fu/kkfjr dh xb g(
¼?k½ xr rhu o"kk e iR;d o"k d nkjku mDr ,lbtM dh mRikndrk dk LFkku&okj C;kjk D;k g(vkj
¼³½ uhfr d vUrxr vc rd fu/kkfjr y{;k] dh xb dkjokb vkj gkfly dh xb miyfC/k;k dk C;kjk D;k g\

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति अप्रैल 2000 में शुरू की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 संसद द्वारा मई, 2005 में पारित किया गया जिस पर राष्ट्रपति की सम्मति 23 जून, 2005 को प्राप्त हुई। एसईजेड नियम,2006 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुए । एसईजेड स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) एसईजेड में प्राधिकृत प्रचालनों के प्रयोजनार्थ एक निर्दिष्ट शुल्क मुक्त एनक्लेव को भारतीय सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र के रूप में माना जाएगा ;

(ii) आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं;

(iii) विनिर्माण अथवा सेवा कार्यकलापों की अनुमति ;

(iv) इकाई सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय प्राप्त करेगी जिसकी संचयी गणना उत्पादन शुरू होने से पॉच वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी ;

(v) घरेलू बिक्री सम्पूर्ण सीमाशुल्क और लागू आयात नीति के अध्यधीन है;

(vi) एसईजेड इकाइयों को उप-संविदा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी;

(vii) निर्यात/ आयात कार्गो की कस्टम प्राधिकारियों द्वारा कोई नैमित्तिक जांच नहीं;

(viii) एसईजेड विकासकर्ता/ सह-विकासकर्ता और इकाइयों को प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का लाभ मिलेगा, जैसा कि एसईजेड अधिनियम, 2005 में निर्धारित है।

(ख) : एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित केन्द्रीय सरकार के सात विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और 12 राज्य/निजी एसईजेड क्षेत्रों के अतिरिक्त देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए 417 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। वर्तमान में, 349 अधिसूचित एसईजेड में से कुल 238 एसईजेड प्रचालनशील हैं। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में कोई एसईजेड नहीं है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु सहित देश में स्थापित एसईजेड का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार वितरण तथा इन एसईजेड के स्थिति का विवरण www.sezindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (ड़) : एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम 2006 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्यत: निजी निवेश संचालित पहलें हैं। एसईजेड की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निधि की मंजूरी नहीं की जाती है, तथापि एसईजेड अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विकासकर्ताओं/इकाइयों को वित्तीय रियायत और शुल्क लाभ की अनुमति दी जाती है। दिनांक 30.09.2019 के अनुसार, एसईजेड से 3,81,912 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था तथा लगभग 21.94 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हुआ और 5,21,631.44 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था।

****